

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, 2014

(आयकर)

का.आ. 2755(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण भाग- II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना सं.का.आ. 888 (अ), दिनांक 17 सितम्बर, 2001 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पहले किए गए कार्यों अथवा न किए गए कार्यों को छोड़कर केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा यह निदेश देता है कि नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट आयकर प्राधिकारी, जिनके मुख्यालय नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ (2) में तदनुसूची प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट स्थानों पर हैं, ऐसे प्रादेशिक क्षेत्रों या ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्गों या ऐसी आय या आय के वर्गों या ऐसे मामलों या मामलों के वर्गों, जिनके सम्बंध में उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) में तदनुसूची प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट आयकर आयुक्त को क्षेत्राधिकार सौंपा गया है, के संबंध में शक्तियों का प्रयोग करेंगे और कार्यों का निष्पादन करेंगे।

अनुसूची

क्रम सं.	आयकर प्राधिकारियों का पदनाम	मुख्यालय	क्षेत्राधिकार
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	मुख्य आयकर आयुक्त, (छूट)	दिल्ली	(1) आयकर आयुक्त (छूट), अहमदाबाद (2) आयकर आयुक्त (छूट), बंगलौर (3) आयकर आयुक्त (छूट), भोपाल (4) आयकर आयुक्त (छूट), चंडीगढ़ (5) आयकर आयुक्त (छूट), चेन्नई (6) आयकर आयुक्त (छूट), दिल्ली (7) आयकर आयुक्त (छूट), हैदराबाद (8) आयकर आयुक्त (छूट), जयपुर (9) आयकर आयुक्त (छूट), कोच्चि (10) आयकर आयुक्त (छूट), कोलकाता (11) आयकर आयुक्त (छूट), लखनऊ (12) आयकर आयुक्त (छूट), मुम्बई (13) आयकर आयुक्त (छूट), पटना (14) आयकर आयुक्त (छूट), पुणे

यह अधिसूचना 15/11/ 2014 से प्रवृत्त होगी।

[अधिसूचना सं 53/2014/फा.सं. 187/35 /2014(आईटीए-1)]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक,